न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
गृह नियंत्रण अपील वाद 55/11–12
सदानन्द ठाकुर बनाम राम निरंजन केडिया

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
27/06/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक सदानन्द ठाकुर, पे0–कारी ठाकुर, मो0–मिर्जापुर (गौशाला कैम्पस) थाना–नगर, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी–सह– गृह नियंत्रक सदर, दरभंगा द्वारा गृह नियंत्रण वाद संख्या–12/09 में दिनांक–15.03.11 को पारित आदेश के विरूद्ध वाद आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग करते हुए प्रतिपक्षी के सदस्यों को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रतिउत्तर आवेदन दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के किराये पर रह रहे मकान का स्वच्छ मासिक किराया का निर्धारण अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रक सदर, दरभंगा द्वारा किया गया। उक्त वाद में निर्गत सूचना के अनुपालन में विपक्षी द्वारा आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया। उनका यह भी कहना है कि आवेदक को निम्न न्यायालय में पक्ष रखने का मौका नहीं देते हुए अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आदेश पारित कर दिया गया। कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मकान का 1000/– रू0 मासिक किराया निर्धारण करने की अनुशंसा की गयी थी, जबकि निम्न न्यायालय द्वारा मो0–9592/– रू0 मासिक किराया निर्धारण किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह– गृह नियंत्रक, सदर, दरभंगा द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त करने योग्य है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के अपीलकर्त्ता मासिक किराया जमा नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि प्रश्नगत मकान दरभंगा शहर के बीच मुख्य सड़क से सटा हुआ है एवं यातायात की सुविधा युक्त रहने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रक सदर, दरभंगा द्वारा विधि सम्मत तरीके से आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की संशोधन किया जाना नियमानुकूल नही होगा। जिस कारण आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन खारिज योग्य है।	